मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2015 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 23, 1937)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 पटल पर रखेंगे.

(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) की धारा 38 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का अंकेक्षित वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2013-14 पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य, बड़वाह के पास खलघाट पर सुरक्षा प्रबंध न होने से दुर्घटना होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल स्थित कम्प्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा छात्रों को ठगे जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री चेतन्य कुमार काश्यप, रामपाल सिंह, सदस्य, प्रदेश में ई-पंजीयन एवं ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले में एस.जी.आर.वाई. योजना अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किए जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री संजय पाठक,सदस्य, कटनी जिले के ग्राम चौरी से चौरा तक नेटा मार्ग पर पुल निर्माण किये जाने,

(2) श्री के. के. श्रीवास्तव, सदस्य,टीकमगढ़ जिले में

(क) धसान नदी से बांध तक पक्की नहर निर्माण किये जाने, तथा

(ख) महाशिवरात्रि पर्व पर कुण्डेश्वर महोत्सव संस्कृति विभाग से कराये जाने,

(3) श्री संजय शर्मा, सदस्य,नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा एवं राजमार्ग के बीच गुटौरी ढाबा के सामने डिवाइडर बनाये जाने,

(4) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य, मुरैना जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) की स्वीकृति दिये जाने,

(5) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य,नीमच जिले के ग्राम उमाहेड़ा से गुलाबखेड़ी तक सड़क का डामरीकरण किये जाने,

(6) श्री नारायण सिंह पँवार, सदस्य,राजगढ़ जिले के

(क) ग्राम मलावर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उन्नयन कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने, तथा

(ख) ग्राम गिन्दौरहाट के शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकण्डरी में उन्नयन किये जाने,

(7) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य,खरगौन जिले के

(क) महेश्वर रोड पर रेल्वे ओवर ब्रिज स्वीकृति किये जाने, तथा

(ख) सनावद-पुनासा एवं ओंकारेश्वर रोड पर रेल्वे ओवर ब्रिज स्वीकृत कराये जाने,

(8) श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, गुना जिले के ग्राम बिनख्याई से बिसोनिया तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(9) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य,दतिया जिले के परसौदा-वामन में इंटर कालेज खोले जाने,

(10)डॉ. मोहन यादव, सदस्य,उज्जैन जिले के वार्ड क्रमांक 41 में नीमनवासा से करोडिया ग्राम को जोड़ने वाली सड़क बनाये जाने,

(11) श्री घनश्याम पिरोनियॉ, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम बड़ेरा एवं अन्य ग्रामों में ओला वृष्टि से हुये नुकसान के मुआवजे की राशि प्रदान कराये जाने,

(12) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम सास बहू से ग्राम बेलखेड़ी तक सड़क बनाये जाने,

(13) श्री चेतराम मानेकर ,सदस्य, बैतूल जिले के

(क) ग्राम बोरदेही के भैसाई नदी पर ऊंची पुलिया का निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम खरपड़ाखेड़ी-उमरिया की खरपड़ा नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

..2....

(14) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक, सदस्य, छतरपुर जिले के

(क) ग्राम रैपुरा से बिजावर तक पहुँच मार्ग निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम गुलगंज विकासखण्ड बिजावर के उन्च्तर माध्यमिक विद्यालय में कमरे बनाये जाने,

(15) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य,हरदा जिले के ग्राम बालागांव से रन्हाई तक रोड निर्माण किये जाने,

(16) श्रीमती रंजना बघेल ,सदस्य, धार जिले के

(क) मनावर में विभिन्न सड़कों पर डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ख) मनावर-इन्दौर रोड पर उच्च स्तर का पुल निर्माण कराये जाने,

(17) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के

(क) कालापीपल से खमलाय-अमलाय मार्ग का उन्नयन व चौड़ीकरण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम बोल्दा में नेवज नदी पर नवीन स्टाप डैम निर्माण किये जाने,

(18) कुँवर विक्रम सिंह, सदस्य,छतरपुर जिले की लखेरी माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन कराये जाने,

(19) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य,खरगौन जिले के ग्राम पहाड़ी एवं अन्य ग्रामों में (घरेलू)विद्युतीकरण कराये जाने,

(20) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य,मंदसौर जिले के

(क) ग्राम रेहड़ी में नवीन तालाब की स्वीकृति दिलाये जाने, तथा

(ख) ग्राम रूपारेल में स्टाप डैम की स्वीकृति दिलाये जाने,

(21) श्री वीर सिंह पँवार, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम टेंकू और कांकर के बीच में विद्युत विभाग का सब स्टेशन खोले जाने,

(22) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य,भिण्ड जिले के लहार नगर के विद्युत पोल एवं तार बदलवाये जाने,

(23) श्री रामलल्लू बैस, सदस्य, भोपाल जिले के मीरा नगर वार्ड क्रमांक 50 के मोहल्ले में सड़क एवं नाली का निर्माण किये जाने,

(24) श्री निशंक कुमार जैन ,सदस्य,विदिशा जिले के ग्राम त्यौंदा में नवीन हैण्डपम्प खनन किये जाने,

(25) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य,जबलपुर जिले के ग्राम मण्डला से ग्राम कूडां तक पहुँच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(26) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के

(क) ग्राम पलेरा में मंगल भवन स्वीकृत कर निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम नारायणपुर के खरया नाले का डायवर्सन कराये जाने,

(27) श्री दुर्गालाल विजय ,सदस्य, श्योपुर जिले के

(क) ग्राम अलापुरा में 33/11 के.वी. विद्युत सब स्टेशन मंजूर किये जाने, तथा

(ख) ग्राम पॉंडोला में खेल का मैदान उपलब्ध कराये जाने,

(28) श्री जयवर्धन सिंह, सदस्य,गुना जिले के ग्राम सांवत खेड़ी से मेरूखेड़ी तक डामरीकरण कराये जाने,

(29) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य,नरसिंहपुर जिले के ग्राम बरहटा (कौडिया) में एक विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने,

(30) श्री भारत सिंह कुशवाह , सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम महेश्वरा के तालाब का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कराये जाने,

(31) श्री हर्ष यादव ,सदस्य, सागर जिले के ग्राम बैरसला से खौरूआ तक सड़क मार्ग निर्माण कराये जाने, के

(32) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य,छतरपुर जिले के नगर पंचायत बारीगढ़ के शासकीय कन्या हाई स्कूल को हायर सेकण्डरी में उन्नयन किये जाने,

(33) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य,मुरैना जिले के जौरा में गोदाम के पास क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 19 सन् 2015) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2015 (क्रमांक 20 सन् 2015) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 22 सन् 2015) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 23 सन् 2015) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(6) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 24 सन् 2015) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(7) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 17 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

निर्धारित समय 30 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने पर विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

6. प्रतिवेदनों पर चर्चा

(1) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2013-14) पर चर्चा.

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अन्तर्गत उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 पर चर्चा.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 13 दिसम्बर, 2015